उत्तर प्रदेश शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-9
संख्या-44/2015/842/अड़तीस-9-15-04(बजट)/14
लखनऊ : दिनांक-18 नवम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 की धनराशि की द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-41/2015/760/अड़तीस-9-15-04(बजट)/2014, दिनांक-21.09.2015 के संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-05 में टंकण त्रुटिवश निम्नवत् अंकन हुआ है:-

क्र0 सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
05	श्री अशोक बाजपेई	उ0प्र0 विधान सभा	हरदोई	50.00

उक्त को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-21 सितम्बर, 2015 के संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-05 निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
05	श्री अशोक बाजपेई	उ0प्र0 विधान सभा	लखनऊ	50.00

2- शासनादेश संख्या-42/2015/802/38-9-2015-04(बजट)/2014, दिनांक-30.09.2015 द्वारा पूर्व में किये गये संशोधन और उक्त संशोधनों के अतिरिक्त उक्त शासनादेश 21 सितम्बर 2015 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-21 सितम्बर, 2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

ओम प्रकाश तिवारी
अनुसचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 44/2015/842 (1) /अड़तीस-9-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- जिलाधिकारी, हरदोई/लखनऊ उ0प्र0।
11- मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई/लखनऊ उ0प्र0।
12- कोषाधिकारी, हरदोई/लखनऊ उ0प्र0।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
14- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।